राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ0टी0एस0 चौराहा, झालाना लिंक रोड, जे0एल0एन0 मार्ग,
जयपुर (फोन एवं फैक्स नं. 0141–2719136)

क्रमांक 511

दिनांक 07 FEB 2022

नोटिफिकेशन

कोविड–19 संक्रमित बीमारी से सुरक्षित रहने के लिए राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी को सुरक्षित रहने लिए निम्न गाईडलाईनों की पालना अनिवार्य की है :–

1. न्यायालय में सिर्फ अपीलार्थी/प्रत्यर्थी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि ही अन्दर आकर अपने अपील/परिवाद प्रस्तुत व बहस कर सकेगे। आगामी तारीख लेने के लिए न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हो सकेगा।

2. न्यायालय परिसर में अपीलार्थी/प्रत्यर्थी के अतिरिक्त वही व्यक्ति उपस्थित हो सकेगे जिनके उपस्थित होने के न्यायालय ने आदेश जारी किये गये है। उन्हें आदेशो की प्रतिं अथवा अधिकृत पत्र लाना अनिवार्य होगा।

3. न्यायालय परिसर में जिनके पास कोविड–19 की प्रथम/द्वितीय डोज वैक्सीन का प्रमाण पत्र हो वे ही प्रवेश कर सकते है, अन्य का प्रवेश वर्जित है।

4. न्यायालय के अन्दर अपने प्रकरण की बहस के दौरान सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केन्द्र व राज्य सरकार की गाईडलाईन्स के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग की कडी पालना भी की जायेगी।

5. न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेसिंग की पालना की जायेगी एवं अपीलार्थी/प्रत्यर्थी एवं न्यायालय कर्मी एक स्थान पर इक्कठे नहीं हो सकेगे।

6. जिन व्यक्तियों को फ्लू या अन्य लक्षण जो कोविड–19 की ओर इंगित करते हो उन्हें न्यायालय में प्रवेश करना वर्जित है। न्यायालय परिसर में किसी भी तरह का पान, गुटका थूकना निषेध होगा।

7. आयोग में मुख्य द्वार से ही प्रवेश होगा जहॉ थर्मल चैकिंग एवं सेनिटाईजेशन की व्यवस्था होगी।

राज्य सरकार की गाईडलाईन्स के साथ–साथ उपरोक्त सभी गाईडलाईन्स की पालना अनिवार्य है।

रजिस्ट्रार
राजस्थान राज्य सूचना आयोग,
जयपुर